उत्तर प्रदेश शासन
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग
संख्या–1013/87–अति.ऊ.स्रो.वि./2018
लखनऊ : दिनांक : 25 जून, 2018

अधिसूचना

विभिन्न जैव ऊर्जा परियोजनाएं जैसे बायो डीजल, बायो एथेनाल, मेथेनाल, बायोगैस/बायो सी.एन.जी. प्रोड्यूसर गैस, बायो कोल(पैलेट्स तथा ब्रिकेटस) उत्पादन इकाईयों द्वारा जैव ऊर्जा के उत्पादन से पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये, पेट्रोलियम आधारित ईधन की खपत को उत्तरोत्तर रूप से कम करने, अतिरिक्त रोजगार सृजन तथा आर्गनिक खेती हेतु आवश्यक इनपुट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सक्षम उक्त परियोजनाओं के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन के प्रक्रिया दिशा–निर्देश विषयक शासनादेश संख्या–4/2018/151/35–1– 2018–2/1(35)/2017 दिनांक 21 फरवरी 2018 द्वारा जारी किये जा चुके हैं। उक्त शासनादेश में इंगित उपर्युक्त जैव ऊर्जा परियोजना उत्पादन इकाईयां स्थापित किये जाने हेतु उद्यमिता मोड में कार्य करने के निर्देश दिये गये हैं।

2–शासनादेश संख्या–4/2018/151/35–1–2018–2/1(35)/2017 दिनांक 21 फरवरी 2018 के अनुपालन के कम में जारी अधिसूचना संख्या : संख्या–706/87–अति.ऊ.स्रो.वि./2018 दिनांक 10 अप्रैल, 2018 के संलग्नक –1 में अंकित आवेदन पत्र प्रारूप के बिन्दु सं0–द–02 को निम्नानुसार संशोधित किया जा रहा है। यह संशोधन शासनादेश निर्गत होने की तिथि से अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा।

वर्तमान विवरण	संशोधित विवरण
कम्पनी का पिछले 03 वर्ष की आडिटेड बैलेन्स शीट (यदि कम्पनी नयी पंजीकृत है तो प्रोप्राइटर डायरेक्टर के फाइनेशियल क्रेडेंशियल्स जिसके आधार पर यह प्रमाणित किया जा सके कि प्रस्तावित उद्यम की स्थापना हेतु अंश पूंजी की व्यवस्था सम्बन्धित कम्पनी/प्रोप्राइटर के पास उपलब्ध है।)	कम्पनी का पिछले 03 वर्ष की आडिटेडबैलेन्स शीट (यदि कम्पनी नयी पंजीकृतहै तो प्रोप्राइटर डायरेक्टर के फाइनेशियल क्रेडेंशियल्स जिसके आधार पर यह प्रमाणित किया जा सके कि प्रस्तावित उद्यम की स्थापना हेतु अंश पूंजी की व्यवस्था सम्बन्धित कम्पनी/प्रोप्राइटर के पास उपलब्ध है।) के साथ–साथ प्रस्तावित उद्यम में अंश पूंजी एवं उसके स्रोत का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

3–शासनादेश संख्या–4/2018/151/35–1–2018–2/1(35)/2017 दिनांक 21 फरवरी 2018 के अनुपालन के कम में जारी अधिसूचना संख्या : संख्या–706/87–अति.ऊ.स्रो.वि./2018 दिनांक 10 अप्रैल, 2018 के संलग्नक –1 में अंकित आवेदन पत्र प्रारूप के बिन्दु सं0–द–03 को निम्नानुसार संशोधित किया जा रहा है। यह संशोधन शासनादेश निर्गत होने की तिथि से अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा।

वर्तमान विवरण	संशोधित विवरण
"प्रस्तावित उद्यम हेतु भूमि के कागजात (पंजीकृत लीज/रजिस्ट्री के कागजात ही अनुमन्य होंगें)"।	"प्रस्तावित उद्यम हेतु भूमि के कागजात (पंजीकृत लीज/पंजीकृत विक्रय समझौता प्रपत्र प्रपत्र (Registered Agreement to Sale)/रजिस्ट्री/नोटरी हलफनामा के कागजात अनुमन्य होंगें)।"नोट : नोटरी हलफनामा प्रस्तुत करने की स्थिति में सम्बन्धित कम्पनी/फर्म को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी होने के 03 माह के अन्दर भूमि की रजिस्ट्री करानी होगी। तथा किसी भी परिस्थिति में प्रस्तावित स्थल का जनपद परिवर्तित करना अनुमन्य नही होगा।

4–शासनादेश संख्या–4/2018/151/35–1–2018–2/1(35)/2017 दिनांक 21 फरवरी 2018 के अनुपालन के कम में जारी अधिसूचना संख्या : संख्या–706/87–अति.ऊ.स्रो.वि./2018 दिनांक 10 अप्रैल, 2018 के संलग्नक –1 में अंकित आवेदन पत्र प्रारूप के बिन्दु सं0–द–04 को निम्नानुसार संशोधित किया जा रहा है। यह संशोधन शासनादेश निर्गत होने की तिथि से अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा।

वर्तमान विवरण	संशोधित विवरण
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0)	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0) में प्रस्तावित परियोजना की मदवार लागत का विवरण आवश्यक होगा

5–शासनादेश संख्या–4/2018/151/35–1–2018–2/1(35)/2017 दिनांक 21 फरवरी 2018 के अनुपालन के कम में जारी अधिसूचना संख्या : संख्या–706/87–अति.ऊ.स्रो.वि./2018 दिनांक 10 अप्रैल, 2018 के संलग्नक –1 में अंकित आवेदन पत्र प्रारूप के बिन्दु सं0–द–05 को निम्नानुसार संशोधित किया जा रहा है। यह संशोधन शासनादेश निर्गत होने की तिथि से अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा।

वर्तमान विवरण	संशोधित विवरण
प्रस्तावित तकनीकी के सम्बन्ध में यदि कोई एम0ओ0यू0 (जिससे सम्बन्धित तकनीकी के उत्पाद का आंकलन किया जा सके)	प्रस्तावित तकनीकी यदि सम्बन्धित कम्पनी/फर्म के पास उपलब्ध है तो उसका विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सम्बन्धित तकनीकी किसी तकनीकी सेवा प्रदाता से ली जा रही हो तो ऐसी स्थिति में एम0ओ0यू0 (जिससे सम्बन्धित तकनीकी के उत्पाद का आंकलन किया जा सके) संलग्न करना आवश्यक होगा।

अधिसूचना संख्या–706/87–अति.ऊ.स्रो.वि./2018 दिनांक 10 अप्रैल, 2018 तथा अधिसूचना संख्या : 830/87–अति.ऊ.स्रो.वि./2018 दिनांक 27 अप्रैल, 2018 के शेष अन्य प्राविधान यथावत रहेंगें।

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक:तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. प्रबन्ध निदेशक, पिकप/उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम।
6. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12–सी, माल एवेन्यू, लखनऊ।
7. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. निदेशक, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण।
10. राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, योजना भवन, लखनऊ।
11. अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत अनुभाग।
12. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार)
अनु सचिव।